



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

कास-आब्जेक्शन संख्या 193/2014.....जिला.....जोधपुर.....

उनवान- मै0 इण्डो अमेरिकल सीमेन्ट प्रा0लि0, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त विशेष वृत्त-जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
31.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा – सदस्य</u> <u>श्री मदनलाल – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित। विभाग की ओर से श्री डी पी औझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अभिभाषक ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ./12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्झाल खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="431 1527 627 1687">  (मदनलाल) सदस्य </div> <div data-bbox="1019 1527 1332 1687">  (सुनील शर्मा) सदस्य </div> </div>	